न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 12/15

RCMS id : 2015 / 00039

द्वारकालाल आत्मज श्री किशनलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम लाडपुर (कैथून), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. विनोद कुमार आत्मज स्व. श्री माधोलाल
2–4. सन्तोष बाई, मन्जू बाई, सीमा बाई पुत्रियां स्व. श्री माधोलाल
5. कान्ता बाई पत्नी स्व. श्री माधोलाल
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम लाडपुर (कैथून), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6–8. भंवरलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पिसरान श्री चन्दालाल
9. प्रेमबाई पुत्री श्री चन्दालाल
10. कंचन बाई पत्नी श्री चन्दालाल
11. भूली बाई पत्नी श्री महेन्द्र कुमार
12. रमेश चन्द्र आत्मज श्री उदालाल
जाति गूजर, निवासीगण ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज. टी. एक्ट
बाबत घोषणा, खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति : श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक वादी
श्री महेन्द्र कुमार भारद्वाज, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5
श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 11 व 12

दिनांक : 19.02 .2020

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत बाबत घोषणा, खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम लाडपुर (कैथून), पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 127 की 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 की 0.21 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.43 हैक्टर आराजी स्थित है जो शामलाती खाते में दर्ज थी।

Scanned by CamScanner

- जमाबन्दी संवत 2056–2059 के अनुसार उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के पिता व क्रम 5 के पति स्व. श्री माधोलाल तथा प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 10 के खाते दर्ज रेकार्ड थी, जिसमें स्व. माधोलाल का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 10 का 1/2 हिस्सा दर्ज था। वादी द्वारा उपरोक्त आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर दिनांक 18.07.2002 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र समस्त खातेदारान से खरीद की है तथा वक्त खरीद से ही वादी अपनी क्रयशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।
- खातेदारान के मध्य विभाजन हो जाने से खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर आराजी स्व. श्री माधोलाल को प्राप्त हुई जो उनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के खाते दर्ज है। अन्य आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.05 हैक्टर प्रतिवादी क्रम 11 व 12 द्वारा क्रय कर ली जो उनके खाते दर्ज रेकार्ड है।
- वादी द्वारा क्रयशुदा आराजी अपने नाम दर्ज करने की कहने पर राजस्व कर्मचारियों ने नियमित वाद प्रस्तुत कर वांछित सहायता प्राप्त करने की कहने पर यह वाद प्रस्तुत है।
- अतः निवेदन है कि पजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2002 के अनुसार ग्राम लाडपुर (कैथून), पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।
- वादी द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2056–2059, 2068–2071 तथा पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति पेश की गई है।

3.
   - प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 द्वारा वादपत्र की प्रार्थना को अस्वीकार कर निवेदन किया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जो जमाबन्दी संवत 2056–2059 के अनुसार पक्षकारान के खाते दर्ज रेकार्ड थी। उक्त आराजी को बिना विभाजन किसी को बेचने का अधिकार नहीं था।
   - प्रतिवादी क्रम 11 व 12 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है।

4. दौराने वाद वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उनके मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 वादी के पक्ष को स्वीकार करते है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि राजीनामा अनुसार वाद प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे। उक्त राजीनामा हेतु वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 ने न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण की आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये गये। वादी की पहचान वादी अभिभाषक द्वारा तथा प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 की पहचान उनके अभिभाषक द्वारा की गई। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 द्वारा अपनी पहचान स्वरूप आधार कार्ड की स्व हस्ताक्षरित प्रतियां पेश की गई है।

Scanned by CamScanner

5. हमने न्यायालय में उपस्थित पक्षकारान के राजीनामा की स्वीकृति प्राप्त की, जिसके आधार पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम लाडपुर (कैथून), पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वे विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

19/02/2020.

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

द्वारकालाल आत्मज श्री किशनलाल, जाति धाकड, निवासी ग्राम लाडपुर (कैथून), तहसील लाडपुरा, कोटा (वादी)

बनाम

1. विनोद कुमार आत्मज स्व. श्री माधोलाल
2–4. सन्तोष बाई, मन्जू बाई, सीमा बाई पुत्रियां स्व. श्री माधोलाल
5. कान्ता बाई पत्नी स्व. श्री माधोलाल
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम लाडपुर (कैथून), तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6–8. भंवरलाल, मांगीलाल, ओमप्रकाश पिसरान श्री चन्दालाल
9. प्रेमबाई पुत्री श्री चन्दालाल
10. कंचन बाई पत्नी श्री चन्दालाल
11. भूली बाई पत्नी श्री महेन्द्र कुमार
12. रमेश चन्द्र आत्मज श्री उदालाल
जाति गूजर, निवासीगण ग्राम देवली अरब, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

दावा बाबत : 88,89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 12 / 15
निर्णय दिनांक : 19-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 19–02–2020 को पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम लाडपुर (कैथून), पटवार हल्का जाखोडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 181 की 0.17 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 5 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि वे विवादित आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार पालना किये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 19 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

19/02/2020
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner